



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सर्क्यूलर/09/17501

दिनांक 31/12/2012

परिपत्र संख्या 27

अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आदेश क्रमांक एफ1(8)एससी एसपी/सा.न्या.अ.वि./2010/5723, दिनांक 30.11.2012 में यह उल्लेखित किया है कि "राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के बारां जिले में खैरवा जाति (पिछड़ा वर्ग) के समस्त परिवारों को भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल परिवार) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जावें"।

उक्त की पालना में राज्य के बारां जिले में खैरवा जाति (पिछड़ा वर्ग) के समस्त परिवारों को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु तुरन्त प्रभाव से योजना में सम्मिलित किया जाता है।

यह है कि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने हेतु परिवार के मुखिया को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड की छांयाप्रति संबंधित राजकीय चिकित्सालय के प्रभारी को जहाँ से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा (दवाईयां, जांचें, सर्जरी, इम्प्लान्टस् एवं रेफरल मामलो में परिवहन) प्राप्त करनी है को उपलब्ध करवानी होगी।

अतः उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
12. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
15. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी., स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
16. निजी सचिव, विशिष्ट सचिव (व्यय), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
18. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
19. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
20. निदेशक, वित्त, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
21. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।
22. उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, राजस्थान।
24. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
25. अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी, शहरी विकास समिति, शाहबाद, जिला - बारां।
26. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
27. जिला कोषाधिकारी, जिला - बारां।
28. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि वो अपने स्तर से समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को परिपत्र की प्रति भिजवायें।
29. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/सैटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालय, राजस्थान।
30. लेखाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
31. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
32. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।
33. सलाहकार (आईटी) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।

  
 मिशन निदेशक  
 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन